प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 03/2022 आर.टी.आई. (GCMS/2022/62)
दायर दिनांक - 23.05.2022
निर्णय दिनांक - 10.06.2022

श्री कैलाशचन्द्र पुत्र गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

- श्री कैलाशचन्द्र पुत्र गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 17.05.2022 (दिनांक 23.05.2022 को प्राप्त) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा बिन्दु संख्या 4 की वांछित सूचनाएं अपूर्ण उपलब्ध कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

- कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 1821-22 दिनांक 23.05.2022 से श्री कैलाशचन्द्र डाड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

- लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 01.06.2022 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी श्री कैलाशचन्द्र डाड द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2022 (कार्यालय में प्राप्त दिनांक 08.03.2022) से चाही गयी सूचना में बिन्दु संख्या-4 के संबंध में कार्यालय हाजा के संबंधित अनुभाग जांच अनुभाग एवं पंचायत अनुभाग से जावाब चाहा गया। उक्त संबंध में दोनो अनुभागों द्वारा प्रत्युत्तर में स्पष्ट किया गया है कि बिन्दु संख्या- 4 की सूचना संबंधित अनुभाग में उपलब्ध नही होने से प्रार्थी उनके कार्यालय के पत्रांक 1372 दिनांक 21.04.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखोनुसार सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ कार्मिक विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 14.07.2022 की प्रति प्रस्तुत की गई, जो संबंधित अनुभागों से प्राप्त जवाब अनुसार प्राप्त नहीं है। उक्त पत्र के संबंध में उनके कार्यालय द्वारा कार्मिक विभाग, जयपुर से उक्त पत्र मय दस्तावेज भेजने हेतु पत्रांक 226 दिनांक 31.05.2022 द्वारा लिखा गया है। कार्मिक विभाग, जयपुर द्वारा उक्त पत्र मय दस्तावेज प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करा प्रार्थी को पृथक से अवगत करा दिया

जाएगा। साथ ही यह भी अवगत कराया कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्यान करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अतः उक्त आवेदन के बिन्दु संख्या-4 में चाही गई सूचना उपलब्ध नही होने से अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया। अपीलार्थी को अधिनियम की धारा -7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करा दी गई है।

- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 1973 दिनांक 03.06.2022 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

- प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न ही किसी भी माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

- अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2022 (कार्यालय में प्राप्त दिनांक 08.03.2022) से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।

- अपीलार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या-4 में चाही गई सूचना कार्यालय के संबंधित अनुभागों से प्राप्त प्रत्युत्तर एवं अभिलेखोनुसार वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही होने से कार्यालय के पत्रांक 1372 दिनांक 21.04.2022 से निर्धारित समयावधि एवं प्रावधानोनुसार अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया तथा साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ कार्मिक विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 14.07.2022 की प्रति प्रस्तुत की गई, जो संबंधित अनुभागों से प्राप्त जवाब अनुसार प्राप्त नहीं है। उक्त पत्र के संबंध में उनके कार्यालय द्वारा कार्मिक विभाग, जयपुर से उक्त पत्र मय दस्तावेज भेजने हेतु पत्रांक 226 दिनांक 31.05.2022 द्वारा लिखा गया है। कार्मिक विभाग, जयपुर द्वारा उक्त पत्र मय दस्तावेज प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार जो सूचना उपलब्ध है, वह अपीलार्थी को पूर्व में ही प्रदान कर दी गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है।

- अपीलार्थी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किये जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखने की स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के उत्तर से सन्तुष्ट है।

- उपरोक्त समग्र विवचेन से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2022 (कार्यालय में प्राप्त दिनांक 08.03.2022) से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 17.05.2022 (दिनांक 23.05.2022 को प्राप्त) में सूचना प्राप्त होने का अंकन किया है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपीलार्थी के सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।

- अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
02- श्री कैलाशचन्द्र पुत्र गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर